Form No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, जैतारण (पाली)

हरिसिंह ठाकुर वा गोपाल जी बनाम भोरा राम

किस्म मुकदमा 22 प्र.क. नं. 159 सन् 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20/12/23 | माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली द्वारा प्रकरण राअ.क./23/187 दिनांक 16/11/23 द्वारा दायर प्रकरण के आदेश दिनांक 6/9/21 के विरुद्ध अपील होने के मूल पत्रावली तलब की है अतः मूल पत्रावली निगरानी नामत सरबराह देखे पर रखा जाय। सरबराह दिनांक 15/11/24 को पेश हो। | 828 20/12/23 |
| 15/11/24 | पत्रावली पेश/सरबराह पेश हुआ। चूंकि इस सरबराह से सम्बन्धित मूल गाटा आज अदम हाजरी। अदम पैरवी के रद्दीय के हुक्म हो मूल गाटा रद्दीय होने के से सब प्रकरण। सरबराह प्रकरणीय होने से रद्दीय किया जाता है। मूल पत्रावली प्राप्त होने पर रद्दीय किया जाएगा। सरबराह फैसल शुदा होने तथा कि क्या है गाटा इमपील पाक मूल पत्रा. प्राप्त होने पर नस्ती हो। | |

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.17 15:16:27 IST
Reason: SelfAttested